न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म०प्र० सर्किट बेंच रीवा संभाग रीवा(म०प्र०)

निगरानी 2521-II-15

940
6.7.15

Rs 30/-

कल्याण प्रसाद द्विवेदी तनय स्व० जगदीश प्रसाद द्विवेदी उम्र 68 साल पेशा खेती निवासी ग्राम खेरा, तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी (म०प्र०)

--पुनरीक्षणकर्ता/आपत्तिकर्ता

बनाम

1. सियाशरण तनय सिद्धमुनिराम उम्र 52 साल पेशा खेती, निवासी ग्राम खेरा तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म०प्र०)-- गैर पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

श्री. आकेश तिवारी द्वारा आज दिनांक 06-7-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

कार्यवाही बावत धारा 129 म०प्र०भू-रा० संहिता 1959.

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 सीमांकन पुनरीक्षण म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959.

क्रमांक.......... रजिस्टर्ड पोस्ट ... आज ... को प्राप्त दिनांक..........
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मान्यवर,

पुनरीक्षण की संक्षिप्तिका के तथ्य पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1/ यह कि पुनरीक्षणकर्ता ने अपने भूमिस्वामित्वस्वत्व की भूमि खसरा क्रमांक 564 के सीमांकन बावत आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय सर्किल हनुमानगढ़ तहसील रामपुरनैकिन जिला सीधी म०प्र० के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर सीमांकन कराया जाकर राजस्व प्रकरण क्रमांक 108/अ-12/2010-2011 कल्याण प्रसाद विरूद्ध म०प्र० शासन में पारित आदेश दिनांक - 29.7.11 द्वारा पुष्टि कर दी गयी थी, तथा पुराने मेड के बाहर 15 कडी पर पत्थर गड़वा दिया गया था परन्तु कुछ दिनो बाद गैर पुनरीक्षणकर्ता ने उस गड़वाये गये पत्थर को उखाड़कर फेंक दिया जिसकी शिकायत पुनरीक्षणकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील रामपुर नैकिन सर्किल हनुमानगढ़ जिला सीधी मध्यप्रदेश के द्वारा इस आशय - का ..

//2//

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 2521-II/15

जिला सीधी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 5.1.16 ~~12-2015~~ | प्रकरण आज आदेश हेतु लिया गया ।<br>2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क ग्राह्यता पर सुने गये तथा प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, वृत्त हनुमानगढ, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी के प्रकरण कमांक 10/अ–12/14–15 आदेश दिनांक 13–11–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो कि खसरा नंबर 565 (जो निगराकार के खसरा नंबर 564 का सरहदी रकबा है) के सीमांकन की पुष्टि का आदेश है ।<br>3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया गया कि पूर्व में उनकी भूमि खसरा कमांक 564 के सीमांकन की पुष्टि तहसीलदार रामपुर नैकिन द्वारा प्रकरण कमांक 108/अ–12/1011 में पारित आदेश दिनांक 29–7–11 से की गई थी, जिस प्रकरण की छाया प्रति उन्होंने साथ उपलब्ध कराई । इस आदेश दिनांक 29–7–11 द्वारा खसरा नंबर 564 के अंश भाग पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया जाने के प्रतिवेदन की पुष्टि की गई है । उन्होनें आगें बताया कि प्रकरण कमांक 10/अ–12/14–15 में नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 13–11–14 के द्वारा गैर निगराकार की भूमि खसरा कमांक 565 के सीमाकंन की पुष्टि की गयी है, उसमें दबते रकबे का कोई उल्लेख नहीं है ।<br>4/ मैने विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार करते हुए उपलब्ध अभिलेखों का बारीकी से परिशीलन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रकरणों में बनाये गये नक्शों के | |

5.1.16

अवलोकन सें यह स्पष्ट होता है कि निगराकार की भूमि खसरा क्रमांक 564 की चौहद्दी दोनों प्रकरणों के नक्शों में एक समान ही दिखाई गयी है । केवल पुराने प्रकरण क्रमांक 108/अ–12/10–11 में खसरा नंबर 564 में अवैध कब्जा तथा वर्तमान प्रकरण क्रमांक 10/अ–12/14–15 (यह दूसरा प्रकरण भूमि खसरा नंबर 565 से संबंधित होने के कारण) ऐसा अवैध कब्जा नहीं दिखाया गया है ।

5/ स्पष्ट है कि खसरा नंबर 564 के सीमांकन के दौरान उस खसरे नंबर 564 पर पाए गए अवैध कब्जे का उल्लेख है और खसरा नंबर 565 के सीमांकन के दौरान चूँकि खसरा नंबर 565 पर अवैध कब्जा नहीं पाया गया इसलिये इस प्रकरण में अवैध कब्जे का उल्लेख नहीं है ।

6/ साथ ही खसरा नंबर 565 के सीमांकन की कार्यवाही में किसी भी स्थाई बन्दोबस्ती चिन्ह का आधार लिए जाने का उल्लेख नहीं है, तथा खसरा नंबर 564 के पूर्व में किए गए सीमांकन में रास्ते एवं तिमेड़े का आधार लेते हुए सीमांकन किए जाने का लेख है एवं किसी स्थाई सीमा चिन्ह लिये जाने का इसमें भी उल्लेख नहीं है ।

7/ निगराकार अधिवक्ता ने समक्ष में यह भी बताया कि खसरा नंबर 565 के सीमांकन के बाद गैर निगराकार द्वारा पूर्व में किए गए खसरा नंबर 564 के सीमांकन के समय गाड़े गए पत्थरों को उखाड़ा जा रहा है ।

8/ उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के प्रकाश में मैं तहसीलदार, रामपुर नैकिन को निम्न निर्देश देता हूँ :–

(क) खसरा नंबर 564 एवं 565, दोनों के सीमांकन पुनः नए सिरे से स्थाई सीमा चिन्हों का आधार लेते हुए, उभयपक्ष एवं समस्त सरहदी कृषकों एवं हितधारी पक्षकारों को सूचना एवं पक्ष समर्थन

के समुचित अवसर देते हुए, एवं आने वाली किन्ही भी आपत्तियों आदि का पारदर्शिता पूर्वक स्पष्ट निराकरण करते हुए, कराएं एवं उनके संबंध में नए सिरे से बोलते हुए पुष्टि आदेश पारित करें ।

(ख) इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप पाए जाने वाले किसी भी अवैध कब्जे को मौके पर सही से पहचान कर विधिवत हटवाएं ।

(ग) यह समस्त कार्यवाही, तहसीलदार इस राजस्व मण्डल के आदेश की उन्हें संसूचना के अधिकतम तीन माह में पूर्ण करें ।

(घ) उभयपक्ष के पक्षकार एवं अन्य हितबद्ध व्यक्ति / सरहदी काश्तकार इस कार्यवाही में तहसीलदार का सहयोग करें एवं उपरोक्त (ग) के प्रकाश में स–समय अपने पक्ष रखें ।

(ङ) इस प्रकार नए आदेश पारित होने तक दोनों सीमांकन के आदेश–(प्रकरण कमांक 10 / अ–12 / 14–15 में आदेश दिनांक 13–11–14 एवं प्रकरण कमांक 108 / अ–12 / 10–11 में आदेश दिनांक 29–7–11) प्रभावहीन रहेंगे, एवं दोनों प्रकरणों में उपरोक्तानुसार पारित होने वाले नए आदेश इन पुराने आदेशों को अधिक्रमित करेंगे ।

आदेश पारित ।

तहसीलदार, रामपुर नैकिन, जिला सीधी एवं पक्षकार सूचित हो ।

प्रकरण समाप्त । दा0द0 हो ।

5.1.16

**(आशीष श्रीवास्तव)**
**सदस्य**